सूचना

1. अप्राप्त दर्शित वर्ष के सीआर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक से द्वितीय मतांकन कराते हुए उपलब्ध कराऐ जाय एवं अचल संपत्ति की निर्धारित प्रपत्र में वर्षवार जानकारी प्राप्त कर दी जाय। एवं अचल संपत्ति की एक प्रति संबंधित की व्यतिगत नस्ति पर भी संधारित की जावें।

2. जिले में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों में से किसी का नाम इस सूची में नहीं है तो निर्धारित कालम अनुसार नाम दर्ज करने हेतु जानकारी सप्रमाण उपलब्ध कराई जावे।

3. यदि किसी चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच/ई.ओ.डब्ल्यू प्रकरण/लोकायुक्त प्रकरण लंबित विचाराधीन है तो रिमार्क कालम में जानकारी दर्ज की जावे। यदि हो तो प्रचलित प्रकरण की अद्यतन स्थिति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराई जावे।

4. यदि कोई चिकित्सा अधिकारी की तीन माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित है अथवा पूर्व वर्ष में अनुपस्थित रहा है और उस अवधि का निराकरण नहीं है तो संक्षिप्त जानकारी देते हुए की गई कार्यवाही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराई जावे।

6. उक्तानुसार सभी जांच/पुष्टी उपरान्त सूची में आवश्यक सुधार पेन से करते हुए एवं सीएमओ/सीएस से हस्ताक्षर कराते हुए सूची पुनः लौटाई जावे।

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला.....................................

संयुक्त संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य
सेवायें
छत्तीसगढ

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय,
इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक / एफः1–99 / 2016 / विज्ञप्त / 232 **नया रायपुर, दिनांकः** 13/02 **/ 2017**

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
छत्तीसगढ़।

विषयः– चिकित्सा अधिकारियों की अप्राप्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, अचल संपत्ति एवं विभागीय जांच संबंधी प्रकरण की जानकारी शीघ्र भेजने के संबंध में।

––000––

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि आपके अधीनस्थ एवं कार्यरत समस्त चिकित्सा अधिकारियों के संलग्न दर्शाये सूची अनुसार वर्षोन्तों का गोपनीय प्रतिवेदन, अचल संपत्ति एवं विभागीय जांच संबंधी प्रकरण का विवरण अप्राप्त हैं। चिकित्सा अधिकारियों की सेवा संवर्ग की पदक्रम सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जानी हैं। पूर्व में आपके द्वारा जिलों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारीयों के सीआर/अचल संपत्ति भेजा गया उनको अपडेट करने के पश्चात् शेष बचे चिकित्सको के अप्राप्त सीआर/अचल की जानकारी संलग्न सूची में प्रेषित हैं एवं **संलग्न सूची में जिनके सीआर/अचल संपत्ति की जानकारी अप्राप्त है उनकी जानकारी सूची में अंकित है।**

अतः संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के संलग्न सूची अनुसार अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन, अचल संपत्ति एवं विभागीय जांच संबंधी प्रकरण के विवरण के साथ–साथ शैक्षणिक योग्यता, पी.जी. करने का विषय, पी.जी. करने का वर्ष, वर्तमान पदस्थापना स्थल एवं वर्तमान पदस्थापना जिलों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एवं गोपनीय प्रतिवेदनों का मताकंन अधिकारियों से मताकंन कराकर विशेष वाहक के माध्यम से संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के विज्ञप्त शाखा के संयुक्त संचालक को या गोपनीय प्रतिवेदन के कक्ष (**प्रथम तल, ब्लॉक 04 कक्ष कं. 1**) में 10 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

गोपनीय प्रतिवेदन एवं अचल संपत्ति का समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित चिकित्सा अधिकारियों का नाम पदोन्नति हेतु विचार क्षेत्र में रखा जाना संभव नही हो सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

संलग्नः–चिकित्सा अधिकारियों की सूची।

13/02/2017

संयुक्त संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक / एफः 1-99 / 2017 / विज्ञप्त / 233 नया रायपुर, दिनांकः 13 / 02 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालयीन प्रति।

13/02/2017

संयुक्त संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़